[श्री अजराज सिंह]

का काम हो जाता है और इस धन की सुरक्षा रहेगी, ऐसा हमको मान लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि जीवन बीमा निगम के धन की सुरक्षा की जरूरत है और उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। लेकिन खास ध्यान तो हमको इस तरफ देना चाहिए कि हमको जो इस तरह से धन मिल रहा है इसका अधिक से अधिक उपयोग योजना के उद्देश्यों को पूरा करने में किया जाये।

अब एक सवाल और उठता है। हमारे यहां अभी भी दस करोड़ एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है जिसमें खेती नहीं की जाती पर जिसमें खेती की जा सकती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई ऐसी योजना क्यों न बनायी जाये कि इस धन का एक बड़ा हिस्सा इस खेती योग्य जमीन पर लगाया जाये। इसमें नुकसान होने का कोई सवाल नहीं है। अगर इस जमीन को तोड़ा जाये और उसमें खेती की जाये तो उससे एक तरफ तो हमारा धन राष्ट्र के हित में लगेगा, दूसरे मुल्क की जो खाद्य की बड़ी समस्या है वह हल होगी और तीसरे जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, उनको जमीन और काम मिलेगा और इस तरह से बेकारी की समस्या भी हल होगी।

श्री त्यागी (देहरादून) : लेकिन फिर पालिसी होल्डर्स को देने के लिए रुपया कहां से आयेगा ?

श्री अजराज सिंह : रुपया तो सरकार के पास ही रहेगा। सरकार उस की गारंटी देती है।

श्री त्यागी : लेकिन जब रुपया जमीन पर लगा दिया जायेगा तो देने के लिए कहां से आयेगा ?

श्री अजराज सिंह : इसमें जोखिम का तो कोई सवाल ही नहीं है। मैं तो केवल एक विचार दे रहा हूं। आप अगर चाहें तो इसकी तफसील में जा सकते हैं और इसकी पूरी योजना को देख सकते हैं कि इसमें रुपया अधिक उपयोगी ढंग से लगेगा कि नहीं। खैर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं.....

Mr. Chairman: It is now 2-30. We have to take up Private Members' Business. The hon. Member may continue the next day.

14·29 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Thirtieth Report

Sardar A. S. Saigal (Janjgir): I beg to move:

"That this House agrees with the Thirtieth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 25th November, 1958."

Mr. Chairman: The question is:

"That this House agrees with the Thirtieth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 25th November, 1958."

The motion was adopted.

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Section 100)

Shri Naldurgker (Osmanabad): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908.

---

*Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II—Section 2, dated 28-11-1958.